-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा दुष्कर्म व जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आसिफ द्वारा अपनी पहचान छिपाकर वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए विडियो बना लेना तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वादिया से 50 हजार रुपये ले लेना व वापस मांगने पर न देते हुए वादिया के कमरे पर जाकर गाली गलौच करते हुए जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना तथा वादिया को रास्ते मे जाते हुए हाथ पकडकर अपने दोस्त की दुकान मे ले जाकर वादिया का मोबाइल फोन छीनकर सिम तोडना तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलीभगत कर वादिया को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के सम्बन्ध मे थाना नकुड पर मु0अ0सं0 364/24 धारा 64/351(3)/352/61/ /115(2)/333/127/324(4)/304(2)/316(2) बी0एन0एस0 व 3(2)5 व 3(1) द ध एससी0/एस0टी0 एक्ट व 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 बनाम **आसिफ पुत्र इरफान निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 01 अन्य अभियुक्त** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए, जिसके क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **आसिफ पुत्र इरफान निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को अम्बेहटा पीर तिराहा गंगोह रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आसिफ पुत्र इरफान निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 202 विवेक धामा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 2434 मनीष कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 2245 अंशु यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 18.10.2024

-प्रेस नोट-

जनपद सहारनपुर आपात पुलिस सेवा यूपी-112 द्वारा "एक पहल" अभियान के अन्तर्गत नागरिकों को लोकगीतों और लघु नाटकों के माध्यम से जागरुक किया गया

अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर आपात सेवा यूपी-112 द्वारा जनपद सहारनपुर में **'एक पहल'** अभियान के अंतर्गत नागरिकों को अपनी विभिन्न सेवाओं के बारे में बड़े रोचक अंदाज में जागरूक किया जा रहा है। नाट्य टोलियां सार्वजनिक स्थानों पर लोकगीतों और लघु नाटकों के माध्यम से नागरिकों को बता रही हैं कि कैसे आप लोगों की एक छोटी सी पहल समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते है। कलाकार बड़े ही सरल शब्दों में अपील कर रहे हैं कि नागरिक सिर्फ अपनी मदद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद को आगे आएं और फोन उठा कर यूपी-112 मिलाएं।

'एक पहल' अभियान के अतंर्गत प्रदेश मुख्यालय लखनऊ से आई नाट्य टोली द्वारा जे.वी जैन डिग्री कॉलेज, सुभाष नगर थाना सदर बाजार, गिल कॉलोनी शास्त्री नगर, नरेश विहार घंटाघर, सडौली हरिया मलीहपुर रोड थाना कोतवाली नगर तथा टपरी रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली देहात में लोकगीत व लघु नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपने मन में उठ रहे सवाल भी पूछे गए जिसका उत्तर मौके पर मौजूद यूपी 112 महिला उ0नि0 छाया रानी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम समाप्ति पर उपस्थित लोगों से प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 श्री अनित कुमार द्वारा फीडबैक भी लिया गया तो लोगों ने इसे एक अच्छा मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व उपयोगी कार्यक्रम बताया।

समस्याएं अनेक, नंबर सिर्फ एक यूपी-112

सिर्फ पुलिस सहायता ही नहीं बल्कि आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, ट्रेन में भी आपात स्थिति में सहायता पहुंचाती है। क्योंकि यूपी-112 का फायर, एम्बुलेंस, SDRF, जीआरपी सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ एकीकरण के बाद नागरिकों के लिए मदद का दायरा और बढ़ गया है। सार्वजनिक स्थानों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु दिखने पर कोई भी नागरिक 112 पर कॉल कर किसी भी घटना को रोकने में सहायता कर सजग नागरिक होने का दायित्व निभा सकता है। समाज के ऐसे जागरूक नागरिकों को यूपी 112 द्वारा सम्मानित भी किया जाता है।

गोपनीय रहती है कॉलर की पहचान

अपर पुलिस महानिदेशक 112 श्रीमती नीरा रावत ने बताया कि सहायता के लिए कॉल करने वाले नागरिक का नाम, पता, फोन नंबर सहित सभी जानकारी गुप्त रखी जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अपने साथ दूसरों की मदद के लिए बेझिझक आगे आएं और 112 पर कॉल मिलाएं। गौरतलब है कि एक पहल अभियान का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में नागरिकों को 112 की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है।

दिनांकः 18.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दि0 29.08.24 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभि0 सोनू पुत्र ओमकुमार नि0 ग्राम सम्भलहेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 325/24 धारा 137(2)/74 बीएनएस व 9/10 पोक्सो एक्ट वनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक.18.10.24 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित सोनू पुत्र ओमकुमार नि0 ग्राम सम्भलहेडी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सम्भलहेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनू पुत्र ओमकुमार नि0 ग्राम सम्भलहेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
2. उप नि0 श्री आनन्दपाल थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
3. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17/10/2024 को वादी श्री अनुज कुमार सैनी पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम सुखेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 15/10/2024 को कौशल्या गार्डन से उसकी मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0 नं0 UP 11 CD 1857 को अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-467/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए,जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18/10/2024 को प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1.बोबी उर्फ सौरभ पुत्र शोकेन्द्र नि0 ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2.राहुल पुत्र सुरेन्द्र नि0 ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को चोरी की मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम नशा करने के आदि है अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी चकारी कर लेते है। आज ये जो मोटर साईकिल हमसे बरामद हुई है इसे हमने दिनांक 15.10.2024 को कौशल्या गार्डन कस्बा गंगोह से एक शादी के कार्यक्रम के दौरान रात के समय चोरी किया था जिसे आज हम बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. बोबी उर्फ सौरभ पुत्र शोकेन्द्र नि0 ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. राहुल पुत्र सुरेन्द्र नि0 ग्राम पखनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर रजि0 नं0 UP 11 CD 1857

अभियुक्त बोबी उर्फ सौरभ का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 29/21 धारा 201/302/394/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 263/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0-467/24 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. कां0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. का0 2452 रक्षित चहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 18.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ट्यूबवेल की मोटर से तार चोरी करने वाला 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो तांबे का तार व मोटर खोलने के औजार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री शेखर सिंह पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम बढेडी मजबता थाना देवबन्द सहारनपुर व दिनांक 17.09.2024 को वादी मुकदमा श्री मौ0 आकिल पुत्र तुफैल अहमद नि0 लबकरी थाना देवबन्द सहारनपुर ने थाने पर आकर सूचना दी कि अज्ञात चोरो द्वारा उनकी ट्यूबवेल की मोटर के तार चोरी कर लिये गये है। तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 465/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व मु0अ0स0 525/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **दीम्मक पुत्र नानू नि0 ग्राम लबकरी थाना देवबंद सहारनपुर** को चोरी गये तांबे के तार व चोरी मे प्रयुक्त मोटर खोलने के औजार के साथ गस्त व चैकिग के दौरान बडगांव रोड पर झबीरन मोड से गिफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः– गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै व मेरे 02 अन्य साथी जो हमारे गांव के रहने वाले है हम तीनो ने मिलकर ग्राम बढेडी मजबता में 02 माह पहले बढेडी मजबता में चार पांच लोगी की ट्यूबलो की मोटरो को निकाल कर उनमें से तार निकाल कर चोरी कर के ले गये थे मोटरो का बाकी मलवा खेतो में छोड़ दिया था तथा ग्राम कुरडी रोड पर मनोज त्यागी की टयूबैल व अपने गांव में मौ0 आकिल, शाहिद, मौ0 आमिल, गुलबहार, अब्दुल खालिक, मौ0 जावेद, जुबैर अहमद. की करीब 8-10 टयूबैलो की मोटरो को निकाल कर उनमें से तार निकाल कर चोरी कर के ले गये थे। मोटरो का बाकी मलवा खेतो में छोड़ दिया था ग्राम बढेडी मजबता में जो हमने तार चोरी किया था वो हमने चलते फिरते कवाडी को 4500 रुपये का बैच दिया था तथा उसमें से मेरे हिस्से में 1500 रुपये आये तथा कुरडी व हमारे गांव के लोगो के मोटरो की तार जो चोरी किया था वो हमने छुपा रखा था आज हम तीनो उसे बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस को देखकर मेरे दो अन्य साथी मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

दीम्मक पुत्र नानू नि0 ग्राम लबकरी थाना देवबंद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1. तांबे का तार (03 किलोग्राम)
2. मोटर खोलने के औजार (04 चाबी, 01 पान्ना, 01 प्लास, 01 पेचकस 06 मीटर रस्सी व 01 हथौडा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 के0पी0सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0, रविन्द्र कसाना थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 रवि कुमार, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.10.2024 को पुलिस टीम द्वारा 01 **वारंटी अभियुक्त गुलजार पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 162/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 4/11 पशु क्रूरता अधिनियम को मुखबिर की सूचना पर उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

गुलजार पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 नितिन कुमार, थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. का0 2216 वीरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अबैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर नशा तस्कर **अभियुक्त अजय उर्फ सौरभ पुत्र स्व0 देशराज सिंह निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अबैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरणो के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर करीब 30 लीटर लहन नष्ट किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभि0 उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 176/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि में कच्ची शराब निकालकर शराब पीने वालो लोगो को बेचकर काभी लाभ हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय उर्फ सौरभ पुत्र स्व0 देशराज सिंह निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर

बरामदगी का विवरण –

- 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण
- 30 लीटर लहन (जो नष्ट किया गया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 214 उदित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. का0 2319 दानवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 18.10.2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-द्वितीय जनपद सहारनपुर द्वारा मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 3,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई सजाः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.09.2019 को वादी उ0नि0 श्री शाहआलम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगणो 1.कुर्बान पुत्र अलीहसन नि0 मौ0 काजीवाला कस्बा व थाना कैराना शामली 2.सोनू पुत्र नामालूम नि0 कस्बा कैराना जनपद शामली द्वारा चैकिग के दौरान जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर करना जिससें पुलिस पार्टी का बाल-बाल बच जाना व भागते समय अभियुक्तगणों द्वारा फायर करना जिससे अभि0 की गोली लगने से का0 149 हरेन्द्र धामा का घायल हो जाना व आत्मरक्षा में पुलिस फायरिंग में अभि0 कुर्बान का घायल हो जाना व पकडे जाना व अभि0 सोनू का बाग व जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने की सूचना पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-394/19 धारा 307/414 भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 632/19 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-द्वितीय जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18.10.2024 को अभियुक्त **कुर्बान पुत्र अलीहसन नि0 मौ0 काजीवाला कस्बा व थाना कैराना शामली को मु0अ0स0-394/19 धारा 307/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास व 3,500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट - 1.सोनू पुत्र नामालूम फरार चल रहा है, निवासी की फाईल अलग कर वाद अभी भी माननीय न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनीपाल सिंह
विवेचक उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह
पैरोकार है0का0-116 महेश कुमार थाना चिलकाना